इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

संक्षिप्त इतिहास

इलाहाबाद नगर उ0प्र0 की पावन नदियों गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित एक प्राचीन नगर हैं, जिसकी जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही हैं। नगर में उच्च न्यायालय, महालेखाकार उ0प्र0, बोर्ड आफ रेवन्यू, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग आदि प्रमुख कार्यालय होने के कारण जनसंख्या के दबाव में भी तीब्रगति से वृद्धि होने के फलस्वरूप आवासीय समस्या प्रति–दिन जटिल होती जा रही हैं। इस बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न जटिल आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन द्वारा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का गठन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत शासन की विज्ञप्ति दिनांक 09 अगस्त, 1974 के द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1974 को हुआ। उक्त अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत शासन के विज्ञप्ति दिनांक 09.08.1974 के अनुसार महापालिका की सीमा से 8 किलोमीटर बाहर तक विकास क्षेत्र घोषित किया गया है। विकास क्षेत्र में महापलिका क्षेत्र के अतिरिक्त तहसील चायल, करछना एवं सोरांव के 466 ग्राम शमिल है।

संगठन एवं स्थापनाः–

शासन की अधिसूचना संख्या–2852/37–2–21(डी0ए0)/72 दिनांक 19.08.1974 के अनुसार इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का संगठन निम्न प्रकार से है :–

1.	आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष
3.	सचिव आवास विभाग, उ0प्र0शासन लखनऊ	सदस्य
4.	सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन लखनऊ	सदस्य
5.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य
6.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जलनिगम लखनऊ	सदस्य

7.	जिलाधिकारी, इलाहाबाद	सदस्य
8.	नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद	सदस्य
9.	नामित गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
10.	मनोनीत सदस्य	सदस्य
11.	विशेष आमंत्रित सदस्य	सदस्य

उद्देश्य एवं कार्यकलाप

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के मुख्यतः दो कार्य है।

1. नियोजन
2. विकास

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–7 के अनुसार प्राधिकरण का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजनानुसार विकसित करना है। इस प्रयोजन हेतु इसका उद्देश्य निम्न प्रकार हैः–

1. प्राधिकरणकी भूमि तथा अन्य सम्पत्ति के अर्जन, धारण, प्रबन्ध और उसे व्ययन करना।

2. निर्माण इंजीनियरिंग, खनन तथा क्रियायें कार्यान्वित करना।

3. जल बिजली के प्रदाय के प्रबन्ध के सम्बन्ध में योजनाऐ निष्पादित करना।

4. मद का व्ययन करने और अन्य सेवायें तथा सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

साधारणतया विकास के प्रयोग के लिए अनुशासित प्रयोजन के लिए भी कार्य करना है।

उपरोक्त पैरा में वर्णित उद्देश्यो की पूर्ति के लिए विकास प्राधिकरण निम्नांकित कार्यकलापों को विशेष रूप से करता है।

1. भूमि अर्जन।

2. भूमि विकास।

3. आवासीय भवनों का निर्माण (विशेषतः दुर्बल आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग हेतु)।

4. दुकानों तथा बहुखण्डीय व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण।

5. मलिन बस्ती एवं पर्यावरण एवं निपातन योजना।

6. भूमि विकास एवं निर्माण।

7. शासन के निर्देशों के अनुरूप मानचित्रों का निस्तारण एवं अवैध निर्माण पर रोकथाम।

उपरोक्त कार्यकलापों के निष्पादन हेतु विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनायें क्रियान्वयन में हैं, जिसका संचालन अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा हैं। वित्तीय संचालन बैंकों में चालू एवं बचत खाता खोलकर किया जा रहा है। प्रयास किया जाता है कि सम्बन्धित कार्य के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग सम्बन्धित कार्यो के लिये ही किया जाय।